



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12016 निगरानी निग-3201-11-16

श्री. श्री. के. डी. अग्रवाल (S)  
द्वारा आज दि. 19-9-16 को  
प्रस्तुत

राजमन पुत्र महुवा तेली, निवासी ग्राम खौंचीपुर,  
तहसील- सिहावल वर्तमान-वहरी, जिला सीधी-  
(मध्य प्रदेश) ।

10/9/16  
क्लेक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

----- प्रार्थी

बिरगुध

25/9/16  
व्य 1916

मध्यप्रदेश शासन

----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी बिरगुध आदेश कलेक्टर महोदय सीधी दिनांकी 18-08-16  
अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, 1854 । प्र०क्र० 14-16  
स्व.के. निगदानी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

33 |

अनुवृत्ति आदेश प्रप्ट

प्रकरण क्रमांक निगर/3201/II/16,

राजमन् म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>27/12/18</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>रुम.के. अवस्थी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के प्रकरण क्रमांक <u>03/स्व.निगर/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>14/09/2016</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को संभागीय आयुक्त <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right"><u>सदस्य</u></p>	